दैनिक भास्कर
जमशेदपुर, रविवार 20 अगस्त, 2017

नकली आईएसआई वाटर कंटेनर जब्त

जमशेदपुर | भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) जमशेदपुर शाखा कार्यालय की एक टीम ने रांची स्थित मेसर्स मधुर जल में छापामारी की। वहां आईएसआई मार्क के साथ पैक किए गए कई ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर जब्त किए गए। उक्त इकाई के पास आईएसआई का वैध लाइसेंस नहीं था।

प्रभात खबर
जमशेदपुर, रविवार
20.08.2017 04

नामकुम : मधुर जल प्लांट में छापा

- आइएसआइ मार्का के साथ भारी मात्रा में पैक पानी जब्त

जमशेदपुर. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) जमशेदपुर शाखा की टीम ने शुक्रवार को नामकुम (रांची) के कोचबोंग स्थित मधुर जल प्लांट में छापामारी (खोज अभियान) कर प्लांट में आइएसआइ मार्का के साथ पैक पानी जब्त किया. जाच में पाया गया कि मधुर जल प्रबंधन के पास पेयजल पर आइएसआइ चिह्न का उपयोग करने का वैध बीआइएस लाइसेंस नहीं था. प्लांट चलाने वाले पर बीआइएस अधिनियम 1986 की धारा 11 के उल्लंघन करने पर धारा 33 के तहत न्यायालय में विभाग द्वारा मुकदमा दायर किया जायेगा. भारतीय मानक ब्यूरो जमशेदपुर शाखा के वैज्ञानिक एवं प्रमुख एसडी सेलवन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नकली आइएसआइ मार्का का इस्तेमाल कर पानी का बोतल तैयार (पैकेज ड्रिंकिंग वाटर) कर बेचा जा रहा है. इसी आधार पर टीम ने पुलिस के सहयोग से छापामारी की गयी. उन्होंने लोगों से अपील की है कि उत्पाद खरीदने से पहले बीआइएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर जाकर आइएसआइ मार्क की वास्तविकता का पता लगा लें.

6 | दैनिक जागरण जमशेदपुर, 20 अगस्त 2017

रांची में मेसर्स मधुर जल पर बीआइएस का छापा

जास, जमशेदपुर : भारतीय मानक ब्यूरो की जमशेदपुर शाखा ने रांची के नामकुम में बोतल बंद पानी के कारोबारी के यहां छापा मारकर काफी मात्रा में अवैध आइएसआइ मार्का वाले पैक किए गए पानी को जब्त किया। शाखा के वैज्ञानिक-ई एवं हेड एसडी सेलवन ने बताया कि बीआइएस जमशेदपुर शाखा कार्यालय को गुप्त सूचना मिली थी कि रांची में पैक किए गए पेयजल के निर्माताओं में से एक बीआइएस मानक का उपयोग अपने उत्पाद पर बिना वैध उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्राप्त किए कर रहा है और बाजार में बेच रहा है। इसके बाद अधिकारियों की एक टीम ने शुक्रवार को नामकुम में मेसर्स मधुर जल (कोचबोंग) में पुलिस की सहायता से सर्च ऑपरेशन चलाया। पैकेज किए गए पेयजल पर आईएसआई मार्क के खोज अभियान के दौरान, मेसर्स मधुर जल के परिसर में आइएसआइ चिह्न के साथ पैक किए गए पेयजल पर्याप्त मात्रा में जब्त किए गए। उपरोक्त इकाई के पास पैक किए गए पेयजल पर आइएसआइ चिह्न का उपयोग करने के लिए वैध बीआइएस लाइसेंस नहीं था।